

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2011/ 209

दिनांक: 12 मई, 2011

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: सत्र 2011-12 की प्रवेश नीति एवं आवेदन पत्रों के संबंध में।

प्रछेदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सत्र 2011-12 की प्रवेश नीति निदेशात्मक कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर डाल दी गई है जिसे वेबसाईट से प्राप्त कर लिया जावे।

प्रवेश आवेदन पत्र पूर्व वर्षों की भांति महाविद्यालय स्तर पर ही छपवाने का श्रम करे। पूर्व में निर्देशित निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है।

भवदीय

डॉ. किमाजी

संयुक्त निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर